रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398] नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2015/ज्येष्ठ 27, 1937
No. 398] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2015/JYAISTHA 27, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2015

सं.62/2015-सीमाशुल्क(गै.टै.)

सा.का.नि. 501(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड एतद्द्वारा कूरियर आयात तथा निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित उपबंध करता है, यथा :-

1. (1) इन विनियमों को कूरियर आयात तथा निर्यात(निकासी) संशोधन विनियम, 2015 कहा जाएगा।

(2) ये भारतीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. कूरियर आयात तथा निर्यात (निकासी) विनियम, 1998 (जिसे एतश्मिन पश्चात् उक्त विनियम से संदर्भित किया जाएगा) के विनियम 2, उपनियम(2) के खण्ड(ड.) में, -

(क) उपखण्ड(iii) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"शुल्क में छूट, निर्यात प्रोत्साहन पूंजीगत वस्तु योजना या इसी प्रकार की किसी अन्य निर्यात योजना के अंतर्गत निर्यात के लिए प्रस्तावित वस्तुएं:

बशर्ते कि यह उपखण्ड विदेश व्यापार नीति(2015-2020) के परिशिष्ट 3ग में मर्चेन्डाइज एक्सपोर्टस फ्राम इंडिया स्कीम(MEIS) के तहत मुंबई, दिल्ली तथा चेन्नई वायुपत्तनों से निर्यात किए जाने के लिए प्रस्तावित 25 हजार रु. तक की राशि के पारेषण तथा विदेशी मुद्रा में लेन देन में निहित अधिसूचित वस्तुओं पर लागू नहीं होगा;";

(ख) उपखण्ड(iv) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"विदेश व्यापार नीति(2015-2020) के परिशिष्ट 3(ग) में निर्धारित वस्तुओं के अतिरिक्त वस्तुएं, जिनके संबंध में निर्धारित फार्म में निर्यात के बिल या शिपिंग बिल को फाइल करने के लिए संबंधित अधिकारी निर्देश देता है",

(ग) उपखण्ड(V) के परंतुक को विलोपित किया जाएगा ।

3. उक्त विनियम में, विनियम 6 में, उपनियम(3) के बाद तथा मौजूदा परंतुक से पहले,

(क) निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते कि विदेशी व्यापार नीति(2015-2020) के परिशिष्ट 3ग में विनिर्धारित वस्तुओं के लिए, शिपिंग बिल तथा निर्यात बिल(फॉर्म) विनियम, 1991 में निर्धारित फॉर्म में इस प्रकार प्रविष्टि बनाई जाएगी:";

(ख) मौजूदा परंतुक में "बशर्ते" के पश्चात् "के अतिरिक्त" शब्द को अंत:स्थापित किया जाएगा ।

4. उक्त विनियम में कूरियर शिपिंग बिल-II (सीएसबी-II) के फॉर्म में उद्घोषणा में, उपखण्ड(ii) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(ii) मैं/हम घोषणा करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि इस शिपिंग बिल के अनुसार निर्यात के लिए वस्तुओं में केवल ऐसी विश्वसनीय वाणिज्य नमूने तथा प्रतिमान वस्तुएं शामिल हैं जिनकी कीमत प्रति परेषण 50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी तथा निजी प्रयोग के सामान के सदभावी उपहार जिनकी कीमत प्रति परेषण 25,000/- रु. से अधिक नहीं होगी और जो भारत से उनके निर्यात पर अथवा ऐसे निर्यात पर जिनमें विदेशी मुद्रा का अंतरण शामिल नहीं है, अस्थायी रूप से किसी प्रकार की रोक या प्रतिबंध का विषय नहीं है।"

5. उक्त विनियम में कूरियर शिपिंग बिल-II (सी बी ई एक्स-II) के फॉर्म में उद्घोषणा में, उपखण्ड(ii) के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(ii) मैं/हम घोषणा करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि इस शिपिंग बिल के अनुसार निर्यात के लिए वस्तुओं में केवल ऐसी विश्वसनीय वाणिज्य नमूने तथा प्रतिमान वस्तुएं शामिल हैं जिनकी कीमत प्रति परेषण 50,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी तथा निजी प्रयोग के सामान के सदभावी उपहार जिनकी कीमत प्रति परेषण 25,000/- रु. से अधिक नहीं होगी और जो भारत से उनके निर्यात पर अथवा ऐसे निर्यात पर जिनमें विदेशी मुद्रा का अंतरण शामिल नहीं है, अस्थायी रूप से किसी प्रकार की रोक या प्रतिबंध का विषय नहीं है।"

[फा.सं. 450/04/2013-सीमाशुल्क-IV]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना सं. 87/98-सीमाशुल्क(गै.टै.) दिनांक 9 नवम्बर, 1998 को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i), दिनांक 9 नवम्बर, 1998 को सा.का.नि.622(अ) दिनांक 9 नवम्बर, 1998 को प्रकाशित किया गया था तथा इसमें अधिसूचना सं. 75/2010-सीमाशुल्क(गै.टै.) दिनांक 12 अगस्त, 2010 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i), दिनांक 12 अगस्त, 2010 को सा.का.नि. 676 (अ) दिनांक 12 अगस्त, 2010 में प्रकाशित के तहत अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2015

No 62/2015–Customs (N.T.)

G.S.R. 501(E).—In exercise of the powers conferred under section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs, hereby makes the following amendments to amend the Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations,1998, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Courier Imports and Exports (Clearance) Amendment Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Courier Imports and Exports (Clearance) Regulations, 1998 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in sub-regulation (2), in clause (e),-

(a) for the sub-clause (iii), the following shall be substituted, namely:-

"goods proposed to be exported under Duty Exemption Schemes, Export Promotion Capital Goods Scheme or any other similar export promotion schemes:

Provided that this sub-clause shall not apply to goods notified in Appendix 3C of the Foreign Trade Policy (2015-2020), proposed to be exported from Chennai, Delhi and Mumbai airports under the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) in consignment of value upto rupees twenty five thousand and involving transaction in foreign exchange;";

(b) for the sub-clause (iv) , the following shall be substituted, namely:-

"goods, other than the goods specified in Appendix 3C of the Foreign Trade Policy (2015-2020), in respect of which the proper officer directs the filing of shipping bill or bill of export in the prescribed form;";

(c) the proviso to sub-clause (v) shall be omitted.

3. In the said regulations, in regulation 6, after sub-regulation (3) and before the existing proviso,

(a) the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that for the goods specified in Appendix 3C of the Foreign Trade Policy (2015-2020), such entry shall be made in the form prescribed in the Shipping Bill and Bill of Export (Form) Regulations, 1991:";

(b) in the existing proviso, after the word "Provided'', the word "further" shall be inserted.

4. In the said regulations, in the Form Courier Shipping Bill-II (CSB-II), in the Declaration, for clause (ii), the following shall be substituted, namely:-

"(ii) I /We hereby declare that the goods for export as per this Shipping Bill include only bonafide commercial samples and prototypes of goods of a value not exceeding Rs. 50,000/- per consignment and bonafide gifts of articles for personal use of a value not exceeding Rs. 25,000/- per consignment and which are for the time being not subject to any prohibition or restriction on their export from India and on export of which no transfer of foreign exchange is involved".

5. In the said regulations, in the Form Courier Bill of Export- II (CBEx-II), in the Declaration, for clause (ii), the following shall be substituted, namely:-

"(ii) I/We hereby declare that the goods for export as per this Shipping Bill include only bonafide commercial samples and prototypes of goods of a value not exceeding Rs. 50,000/- per consignment and bonafide gifts of articles for personal use of a value not exceeding Rs. 25,000/- per consignment and which are for the time being not subject to any prohibition or restriction on their export from India and on export of which no transfer of foreign exchange is involved".

[F. No. 450/04/2013-Cus IV]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note: The principal Notification No. 87/98-Customs (N.T.), dated the 9th November, 1998 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 9th November 1998 vide number G.S.R. 662(E), dated the 9th November, 1998 and was last amended vide Notification No. 75/2010-Customs (N.T.) dated the 12th August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated the 12th August, 2010, vide number G.S.R. 676 (E), dated the 12th August, 2010.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.